अध्याय III

व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

अध्याय III

3. व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जाँच के फलस्वरूप ज्ञात हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड

3.1 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

आईएलके को अत्यधिक उच्च दरों पर एएमसी प्रदान करने एवं उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद इसे दो वर्षो के लिये बढ़ाने की कम्पनी की कार्यवाही तथा संचालक मण्डल को गलत निष्पादन आंकलन देने के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (कम्पनी) ने 'गिरल लिग्नाईट तापीय ऊर्जा केन्द्र, चरण-1 के संचालन व रखरखाव में सहायता' के कार्य हेतु कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये निविदायें आमंत्रित की (नवम्बर 2006)। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ खोली गयी थी (फरवरी 2007) एवं तकनीकी बोली मूल्याकंन समिति[1] ने तीन[2] फर्मों की मूल्य बोलियाँ खोले जाने की अनुशंसा की (मार्च 2007)। अनुशंसा की गयी फर्मों की मूल्य बोलियाँ खोली गयी थी (अप्रैल 2007)। वी.डी. स्वामी एण्ड कम्पनी लिमिटेड (वीडी स्वामी) न्यूनतम बोलीदाता था एवं इसे ₹ 3.41 करोड़ (सेवा कर अतिरिक्त) प्रतिवर्ष की लागत पर दो वर्षो की अवधि हेतु विस्तृत कार्यादेश प्रदान किया गया था (जुलाई 2007)। वीडी स्वामी द्वारा 11 जुलाई 2007 को कार्य ग्रहण किया गया था।

हमने पाया (मई 2012) कि कम्पनी ने, वीडी स्वामी को कार्यादेश प्रदान करने के 20 दिवस के अन्दर, कार्यादेश क्षेत्र में से ₹ 13.32 लाख प्रतिवर्ष की लागत वाले 'कन्ट्रोल व इनस्ट्रूमेन्टेशन (सीएण्डआई) उपकरणों व इनस्ट्रूमेन्ट के संचालन एवं रखरखाव में सहायता' कार्य को वापस लेने का निर्णय लिया (25 जुलाई 2007) तथा इसे इनस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) को प्रदान किया। निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि वीडी स्वामी सीएण्डआई कार्य को कम्पनी की सन्तुष्टि व संयंत्र की आवश्यकता के अनुरूप करने में सक्षम नहीं था। आईएलके को दोष की पहचान करने/सुधारने का विशेष ज्ञान था एवं यह सीएण्डआई प्रणाली

---

1 मुख्य अभियंता (जीएलटीपीपी), अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ईंधन) आरवीयूएन, उप-मुख्य अभियंता (जीएलटीपीपी) एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (जीएलटीपीपी)।

2 गुप्ता इण्डस्ट्रियल मेन्टिनेन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नाडियाद), वी.डी. स्वामी एण्ड कम्पनी लिमिटेड (कोटा) एवं थरमेक्स लिमिटेड (पुणे)।

का मूल आपूर्तिकर्त्ता था। निर्णयानुसार, कम्पनी ने आईएलके को इकाई-1 की वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) हेतु प्रस्ताव दिया (23 अगस्त 2007) जिसने प्रत्युत्तर में ₹ 9.50 लाख प्रतिमाह व सेवाकर के उद्धृत मूल्य पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया (28 सितम्बर 2007)। कम्पनी ने उद्धृत मूल्य पर एक वर्ष की अवधि के लिये कार्यादेश प्रदान किया (15 जुलाई 2008)। कार्यादेश के क्षेत्र के अनुसार, आईएलके इकाई-1 की सम्पूर्ण सीएण्डआई प्रणाली को 24 घण्टे रखरखाव हेतु उत्तरदायी था।

हमने देखा कि आईएलके ने सीएण्डआई प्रणाली में उत्पन्न दोषों/कमियों का समय पर निवारण नहीं किया था। सीएण्डआई शाखा ने आईएलके को सीएण्डआई समस्याओं/दोषों के निवारण हेतु असक्षम/अनुभवहीन/अपर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने के बारे में बार-बार शिकायत की थी। साथ ही, दोष निवारण प्रतिवेदनों में भी यह वर्णित था कि आईएलके ने अतिआवश्यक प्रकृति की समस्याओं/दोषों का निवारण भी, कई स्मरणों के बावजूद, समय पर किया जाना सुनिश्चित नहीं किया था एवं यह या तो कम्पनी/आरआरवीयूएनएल[3] के अभियन्ताओं या फिर बाहर से विशेषज्ञ सलाहकार बुलाकर दो से 169 दिवसों के मध्य विचरित विलम्ब[4] से निस्तारित की गयी थी, जिसके लिये कम्पनी द्वारा आईएलके के रनिंग बिलों से कटौतियाँ की गयी थी। तथापि कम्पनी ने, कार्यादेश के प्रथम वर्ष के दौरान ही आईएलके के असंतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद, संचालक मण्डल के समक्ष आईएलके के प्रदर्शन को संतोषजनक बताते हुये एएमसी को प्रतिवर्ष के लिये ₹ 1.11 करोड़ व सेवाकर की कुल लागत पर दो बार बढ़ाया (नवम्बर 2009/जनवरी 2011)।

हमने आगे देखा कि वीडी स्वामी की विश्वसनीयता एवं तकनीकी सक्षमता तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति द्वारा कार्यादेश प्रदान करने से पूर्व जाँचे व आंकलित किये गये थे। कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् 11 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2007 के दौरान यथा जब तक कि आईएलके की सेवायें लेने का निर्णय लिया गया, सीएण्डआई प्रणाली को संभालने में वीडी स्वामी की असक्षमता के सम्बन्ध में अभिलेखों पर कोई शिकायत नहीं पायी गयी थी। इसको दृष्टिगत रखते हुये आईएलके को चुने जाने का निर्णय न्यायोचित नहीं था। हमने आगे देखा कि वीडी स्वामी ने सीएण्डआई प्रणाली का रखरखाव बिना किसी शिकायतों अथवा असक्षमता के निरन्तर जारी रखा जब तक कि कार्य आईएलके को सौंपा नहीं गया था (अक्टूबर 2008)। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा आईएलके को अत्यधिक उच्च दरों पर एएमसी प्रदान करने एवं इसे आगामी दो वर्षों के लिये बढ़ाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़[5] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई/अक्टूबर 2012) कि वीडी स्वामी की संविदा के तहत नियुक्त श्रमशक्ति अपर्याप्त थी एवं सीएण्डआई प्रणाली हेतु भली भाँति अनुभवी नहीं थी। वीडी स्वामी

---

3 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। कम्पनी आरआरवीयूएनएल की सहायक कम्पनी है।

4 नवम्बर 2008 से सितम्बर 2009 के दौरान समस्याओं/दोषों की संवीक्षा।

5 सेवाकर सम्मिलित करते हुये आईएलके की सेवायें लेने की लागत (₹ 1.28 करोड़ + ₹ 1.22 करोड़ + ₹1.22 करोड़) घटायें बाह्य/स्वयं के अभियन्ताओं को किये गये भुगतान के समक्ष वसूली (₹ 10.84 लाख) घटायें वीडी स्वामी की तीन वर्षों की लागत सेवाकर सम्मिलित करते हुये (₹ 44.37 लाख) = ₹ 3.17 करोड़

को सीएण्डआई समस्याऐं समय-समय पर सूचित की गयी थी परन्तु यह असक्षम होने के कारण दोषों पर ध्यान व उनका समाधान नहीं कर सका एवं इसलिये सम्पूर्ण सीएण्डआई प्रणाली हेतु पृथक एएमसी दिये जाने का निर्णय लिया गया था। इसने आगे कहा कि सम्पूर्ण सीएण्डआई प्रणाली हेतु एएमसी के सर्वेक्षण व अध्ययन के पश्चात्, आईएलके मूल उपकरण निर्माता होने के कारण सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त फर्म पायी गयी थी। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था जो कि जुलाई 2007 से अक्टूबर 2008 के दौरान वीडी स्वामी के असंतोषजनक प्रदर्शन को इंगित करता हो। इसके अतिरिक्त, वीडी स्वामी का कार्यक्षेत्र केवल श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने तक ही सीमित नहीं था अपितु संचालन में सहायता प्रदान करने सहित सम्पूर्ण कार्यों एवं सभी प्रकारों के रखरखाव यथा नित्यक्रम, रोधात्मक, ब्रेकडाउन, सभी संयंत्रों/प्रणालियों/उपकरणों (यान्त्रिक/वैद्युत एवं सीएण्डआई) का वार्षिक/पूँजीगत रखरखाव भी इसमें समाहित थे। इसके अलावा, नकारात्मक प्रतिवेदनों के बावजूद विस्तारण प्रदान करने हेतु संचालक मण्डल को आईएलके का प्रदर्शन संतोषजनक बताना, निर्णय लेने पर चिन्ता व्यक्त करता है।

सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर को पृष्ठांकित किया (जुलाई 2012)।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.2 गलत गणना के कारण ऋण के पूर्वभुगतान पर हानि

लागत-लाभ विश्लेषण तैयार करते समय, ब्याज को सम्पूर्ण त्रैमासिक हेतु बचत के रूप में गलत समाहित करने के कारण, कम्पनी ने हुडको ऋण के पूर्वभुगतान पर ₹ 1.47 करोड़ की हानि वहन की।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने इसके ढांचागत सुधार हेतु हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 225[6] करोड़ का ऋण ब्याज की चलायमान दर[7] पर लिया (फरवरी 2008 एवं जून 2008 के मध्य)। ऋण की शर्तों व नियमों के अनुसार, मूल एवं ब्याज का भुगतान 30 नवम्बर 2008 से प्रारम्भ होने वाली 13 त्रैमासिक किश्तों में किया जाना था। हुडको स्वनिर्णय से, ऋण का पूर्व भुगतान, पूर्वभुगतान प्रभारों के भुगतान करने पर अनुमति दे सकता था। हमने पाया (मार्च 2012) कि कम्पनी ने हुडको द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की अधिक दर को ध्यान में रखते हुये, ऋण के पूर्वभुगतान का निर्णय लिया (अप्रैल 2009)। हुडको ने भी कम्पनी को मई 2009 को समाप्त होने वाली तिमाही तक बकाया ऋण ₹ 199.58[8] करोड़ पूर्वभुगतान प्रभारों सहित का पुर्नभुगतान अनुमत्य किया (4

6 6 फरवरी 2008 को ₹ 50 करोड़, 29 फरवरी 2008 को ₹ 25 करोड़, 10 मार्च 2008 को ₹ 50 करोड़, 1 मई 2008 को ₹ 50 करोड़ एवं 2 जून 2008 को ₹ 50 करोड़।

7 ₹ 225 करोड़ का ऋण लेने के पश्चात हुडको ने समय-समय पर ब्याज की दर को बढाया/घटाया- 7 अगस्त 2007 (स्वीकृति के समय 10.50 प्रतिशत), 30 जनवरी 2008 (10.25 प्रतिशत), 25 जुलाई 2008 (11.50 प्रतिशत), 31 जुलाई 2008 (12.50 प्रतिशत), 1 अक्टूबर 2008 (13.75 प्रतिशत), 7 नवम्बर 2008 (14.00 प्रतिशत), 1 जनवरी 2009 (13.50 प्रतिशत) एवं 10 फरवरी 2009 (12.75 प्रतिशत)।

8 मूल (₹ 1896930855), ब्याज (₹ 60961641) एवं पूर्वभुगतान प्रभार (₹ 37953344)।

मई 2009)। तदनुसार, संचालक मण्डल ने कारपोरेशन बैंक (सीबी) से 11 प्रतिशत पर ₹ 200 करोड़ का दीर्घावधि ऋण लेकर हुडको ऋण के पूर्वभुगतान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (मई 2009)।

हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हुडको ने ब्याज की लागू दर को 12.75 प्रतिशत से 11.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष घटाया व सूचित किया (19 मई 2009)। कम्पनी ने हुडको की परिवर्तित दर एवं सीबी की लागू ब्याज दर (10.75 प्रतिशत) को ध्यान में रखते हुये लागत-लाभ विश्लेषण **(अनुबन्ध-18)** तैयार किया (29 मई 2009)। पूर्वभुगतान प्रभारों को ध्यान में रखने के पश्चात् कम्पनी ने यह निष्कर्ष निकाला कि सीबी से ऋण लेने पर ₹ 4.64 करोड़ की बचत होगी। कम्पनी ने सीबी से 10.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 200 करोड़ का दीर्घावधि ऋण लेकर हुडको ऋण का ₹ 199.37 करोड़[9] (विच्छेद दिनांक 29 मई 2009) का पूर्वभुगतान किया (29/30 मई 2009)।

हमने देखा कि कम्पनी ने लागत लाभ विश्लेषण तैयार करते समय मई 2009 को समाप्त होने वाली सम्पूर्ण तिमाही के ब्याज दायित्व के पेटे ₹ 5.88 करोड़ को परिकल्पित बचत में सम्मिलित किया था जो कि सही नहीं था। कम्पनी को सम्पूर्ण तिमाही के बजाय दो दिवसों (यथा 30 एवं 31मई) हेतु ब्याज की परिकल्पित बचत पर विचार किया जाना चाहिये था चूंकि 29 मई 2009 तक देय ब्याज का भुगतान हुडको को किया ही जाना था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को सीबी से लिये गये ऋण पर ₹ 4.64 करोड़ की परिकल्पित बचत के स्थान पर ₹ 1.47 करोड़ **(अनुबन्ध-18)** की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने कहा (जून/जुलाई 2012) कि हुडको ने समय-समय पर ब्याज की दर में वृद्धि की एवं हुडको की प्रचलित ब्याज दर अन्य बैकों से अधिक थी। कम्पनी विद्युत के विक्रय के अतिरिक्त राजस्व का अन्य कोई स्रोत नहीं रखती, जो कि विद्युत के क्रय की लागत को पूर्ण करने हेतु भी पर्याप्त नहीं था। अतः कम्पनी को हुडको के ऋण के पुर्नभुगतान हेतु अन्य वित्तीय संस्थानों से कोष उधार लेने पड़े थे। इसने आगे कहा कि सीबी से ऋण तीन वर्ष की विलम्बकाल अवधि के साथ लिया गया था जिस दौरान केवल ब्याज घटक का ही भुगतान किया जाना था एवं मूल को प्रतिधारण किये जाने से कम्पनी ने ₹ 2.84 करोड़ का अप्रत्यक्ष ब्याज अर्जित किया। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि इसने कारपोरेशन बैंक से ऋण केवल हुडको ऋण के पुर्नभुगतान के उद्देश्य से उधार लिया था। विलम्बकाल अवधि के सम्बन्ध में इसने मूल राशि का भुगतान तीन वर्षों के लिये आस्थगित किया था जिस पर उधारदाता को भुगतान किया जाने वाला ब्याज दायित्व उपार्जित होगा। तथ्य यही है कि लागत-लाभ विश्लेषण की गलत गणना के कारण कम्पनी को ₹ 1.47 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर को पृष्ठांकित किया (जून एवं अगस्त 2012)।

9 मूल (₹ 1896930855), ब्याज (₹ 58804856) एवं पूर्वभुगतान प्रभार (₹ 37953344)।

3.3 आदतन चूककर्ता उपभोक्ता को अदेय लाभ

कम्पनी ने इसके नियमों का उल्लंघन कर आदतन चूककर्ता उपभोक्ता का विद्युत आपूर्ति का सम्बन्ध विच्छेद विलम्ब से किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.02 करोड़ की देयताओं की वसूली नहीं हुयी।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा बनाये गये विद्युत की आपूर्ति की शर्तों व नियमों (टीसीओएस) के वाक्यांश 46 में प्रावधान है कि कम्पनी, किसी व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति, ऐसे व्यक्ति को 15 दिवस का लिखित में नोटिस देने के पश्चात्, विच्छेदित करने की हकदार है यदि, ऐसा व्यक्ति आपूरित विद्युत हेतु प्रभारों अथवा कम्पनी को उसके द्वारा देय कोई राशि के भुगतान की अनदेखी करता है।

लार्ड क्लोरो अल्कली लिमिटेड (एचटी उपभोक्ता), जिसके ₹ 55.71 करोड़ की अदत्त देयतायें, कम्पनी द्वारा अनुमत्य (मार्च 2005) पुनर्वास पैकेज तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन मंडल (बीआईएफआर) द्वारा अनुमत्य (नवम्बर 2006) उपभोक्ता के पुनर्जीवन योजना के अनुसरण में, पूर्व में ₹ 14.48 करोड़ में नियमित की गयी थी। उपभोक्ता ने पुनर्वास पैकेज एवं बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना की भी अनुपालना नहीं की थी। इस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिये राजस्थान सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 4.7 में टिप्पणी की गयी थी। अनुच्छेद पर राजकीय उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गयी थी (अक्टूबर 2011) एवं इसकी सिफारिशें प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2012)।

अभिलेखों की आगे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2005 में विद्युत आपूर्ति पुनः चालू[10] करने के पश्चात्, उपभोक्ता ने विद्युत देयताओं के भुगतान में चूक करना प्रारम्भ कर दिया (मार्च 2008)। उपभोक्ता की वित्तीय कठिनाईयों को विचारते हुये, कम्पनी ने इसके प्रार्थना-पत्र पर एक करार किया (जनवरी 2009) जिसके तहत उपभोक्ता ने मासिक विपत्रों का नियत दिनांक के भीतर भुगतान एवं ₹ 2.32 करोड़ के पुराने अदत्त देयताओं को मार्च 2009 तक भुगतान किये जाने की सहमति दी। करार में यह भी प्रदत्त था कि बकाया के साथ-साथ चालू विपत्रों के भुगतान में चूक होने के मामले में आपूर्ति बिना किसी नोटिस के विच्छेदित कर दी जायेगी एवं अदत्त देयताओं की नियमानुसार वसूली की जायेगी। तथापि, दिसम्बर 2008 के अन्त तक उपभोक्ता के विरूद्ध कुल अदत्त देयतायें ₹ 8.73 करोड़ की थी।

हमने पाया कि उपभोक्ता ने करार के नियमों व शर्तों का सम्मान नहीं किया था एवं खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर अदत्त राशि को आस्थगित करने के निवेदन के साथ केवल आंशिक भुगतान किये। उपभोक्ता ने अदत्त देयताओं के समक्ष उत्तरतिथीय चैक दिये परन्तु सभी चैकों का कभी भी भुगतान नहीं किया था। उपभोक्ता द्वारा भुगतानों को विलम्बित रखने हेतु अपनायी गयी अनूठी प्रक्रिया, कि इसने प्रारम्भिक तिथियों के उत्तरतिथीय चैक कम राशि के एवं

10 कम्पनी द्वारा मार्च 2005 में पुनर्वास पैकेज अनुमत्य किये जाने के पश्चात् उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध अप्रैल 2005 में पुनः चालू किया गया था।

अन्तिम चैक अधिक राशि का प्रस्तुत किया जिसको कि पुनः निर्धारण हेतु आवेदन किया गया था, के परिणामस्वरूप अदत्त देयताओं में सदैव वृद्धि होती गयी थी।

हमने आगे पाया कि कम्पनी ने अदत्त देयताओं को जमा करवाने हेतु मात्र अनेक नोटिस जारी किये एवं उसी समय नियमों के उल्लंघन में, विद्युत विपत्रों तथा उत्तरतिथीय चैको की देय दिनांक बढ़ाने हेतु उपभोक्ता के आवेदन को स्वीकार किया। कम्पनी ने विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की (25 जुलाई 2011) एवं पराक्रम विलेख अधिनियम, 1881 के तहत मामला विलम्ब से दर्ज करवाया (अगस्त 2011)। इसके अतिरिक्त, इस समय तक अदत्त देयतायें ₹ 29.80[11] करोड़ तक बढ़ गयी थी।

हमने देखा कि उपभोक्ता, विद्युत देयताओं के भुगतान में आदतन चूककर्ता था जैसा कि इसने अपनी वचनबद्धता के अनुसार अदत्त देयताओं को कभी भी नहीं चुकाया था। यद्यपि कम्पनी उपभोक्ता के कपटपूर्ण व्यवहार के बारे में जानकारी रखती थी फिर भी इसकी वचनबद्धताओं पर विश्वास करती रही एवं नियमानुसार विद्युत आपूर्ति विच्छेद करने की समयोचित कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। हमने आगे देखा कि ₹ 5.78 करोड़ की उपलब्ध नकद सुरक्षा के समायोजन (अक्टूबर 2011) के पश्चात् भी ₹ 24.02 करोड़ अभी तक बकाया थे जिस हेतु राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (बकाया वसूली) अधिनियम, 1960 (ईयूडीआर अधिनियम, 1960) के तहत, जिसमें कि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रावधान है, कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया एवं अब इसकी वसूली की सम्भावनायें क्षीण हैं क्योंकि उपभोक्ता ने बीआईएफआर को सम्पर्क किया था (फरवरी 2012)।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि यह कम्पनी के अधिकार-क्षेत्र में ₹ छः करोड़ के मासिक राजस्व देने वाला सबसे बड़ा उपभोक्ता था एवं इसलिये व्यापक परिपेक्ष्य में आपूर्ति को अकस्मात विच्छेदित करने का निर्णय बहुत कठिन था। प्रबन्धन के उच्चतम स्तर व उपभोक्ता के मध्य अनेक समझौताकारी बैठकें आयोजित की गयीं थी जिसमें राज्य के इतने बड़े उद्योग के वास्तविक पुनरूत्थान के परम उद्देश्य को देखते हुये किश्तें अनुमत्य की गयीं थी एवं उत्तरतिथीय चैक स्वीकार किये गये थे। परन्तु दुर्भाग्य से बकाया देयताओं का अस्वीकारोक्ति सीमा तक अम्बार लग गया एवं कम्पनी को आपूर्ति विच्छेदित करनी पड़ी थी। इसने आगे कहा कि उपभोक्ता ने अब बीआईएफआर को सम्पर्क किया है जिसने ईयूडीआर अधिनियम, 1960 के तहत कोई कठोर कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया है। उत्तर संतोषजनक नहीं था कयोंकि कम्पनी ने इसके स्वयं के नियमों का उल्लंघन किया एवं एक उद्योग को किश्तों व उत्तरतिथीय चैकों से अनुग्रहीत किया जिनका कभी भी भुगतान नहीं हुआ। साथ ही, कम्पनी के देयताओं के भुगतान में उपभोक्ता के कपटपूर्ण व्यवहार की जानकारी के बावजूद आपूर्ति समय पर विच्छेदित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 24.02 करोड़ की इसकी देयताओं की वसूली से वंचित रहना पड़ा।

सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर को पृष्ठांकित किया (नवम्बर 2012)।

11 विलम्ब भुगतान प्रभार ₹ 56884427, संयंत्र लागत ₹ 1750000 एवं विद्युत उपभोग के समक्ष देयतायें ₹ 239330625।

3.4 नये उपभोक्ताओं को प्रथम विद्युत बिल जारी करने में प्रणालीगत दोष

प्रणाली दोषों एवं विभिन्न स्तरों पर शिथिलता के कारण उपभोक्ताओं को प्रथम विद्युत बिल जारी किये जाने में विलम्ब हुआ एवं परिणामस्वरूप विद्युत देयताओं की वसूली में विलम्ब हुआ।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) 'राजस्थान विद्युत नियामक आयोग' (आरईआरसी) के अनुमोदन से तैयार किये गये 'विद्युत आपूर्ति की शर्तों व नियमों 2004' (टीसीओएस) के प्रावधानों के अनुसरण में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत वितरित करती है। उपभोक्ताओं को वितरित की गयी विद्युत, आरईआरसी द्वारा समय-समय पर अनुमत्य किये गये टैरिफ आदेश के अनुसार प्रभारित की जाती है एवं राजस्व मैनुअल 2004 (मैनुअल) के प्रावधानों के अनुसार वसूली जाती है। राजस्व की समयोचित वसूली एवं सुस्पष्ट प्रणाली विकसित किये जाने हेतु कम्पनी ने कम्प्यूटराईज बिलिंग सहित वर्तमान बिलिंग प्रणाली को परिवर्तित किया एवं मैनुअल में इस प्रभाव के दिशानिर्देश जारी किये। मैनुअल के वाक्यांश 21 में प्रावधान है कि सेवा संयोजन लिपिक ए-49[12] रजिस्टर की साप्ताहिक समीक्षा करेगा एवं विद्युत सम्बन्ध के पश्चात् माह, जिसमें कि नये उपभोक्ता(ओं) को वास्तव में प्रथम बिल जारी किया गया हो, भरेगा। इकाई अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी(यों) को भी रजिस्टर की मासिक समीक्षा एवं उनके दिनांकित आद्यक्षर करना आवश्यक है जिससे कि यह निगरानी रखी जा सके कि विद्युत सम्बन्ध जारी होने की दिनांक से प्रथम बिल(लों) को जारी करने में किसी भी मामले में तीन माह से अधिक का विलम्ब नहीं हुआ है।

इसके आंकलन की दृष्टि से कि उपभोक्ताओं के प्रथम बिल(लों) को 90 दिवस की नियत अवधि के भीतर जारी किये जा रहे है, हमने आठ[13] वृत्तों में से तीन वृत्तों (अलवर, जयपुर शहर व जयपुर जिला) का वर्ष 2010-11 के लिये कम ताप (एलटी) उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रोनिक बिलिंग आँकड़े संगृहीत किये। आँकड़ों का विश्लेषण 'इन्टरएक्टिव डेटा एक्सट्रेक्शन एवं एनालाईसिस' (आइडिया) साफ्टवेयर को प्रयोग कर किया गया था। आइडिया के निष्कर्षों की उपखण्डों में संधारित हस्त्य अभिलेखों के साथ प्रति परीक्षण जाँच की गयी थी।

आइडिया निष्कर्षों (जैसा कि नीचे तालिका में विवरण है) से प्रकट हुआ कि सभी तीनों चयनित वृत्तों में उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी करने में अत्यन्त विलम्ब हुआ था।

वृत्त/विवरण	अलवर	जयपुर शहर	जयपुर जिला
कुल नये जारी किये गये विद्युत सम्बन्ध (संख्या)	27535	25128	34049
उपभोक्ता जिनको प्रथम बिल विलम्ब से जारी हुआ था (संख्या)	6103	2796	10211
विलम्ब की सीमा (दिनों में)	91 व 666	91 व 326	91 व 642
विलम्ब से वसूल किया गया राजस्व (₹ लाख में)	86.23	76.14	114.30

12 सेवा संयोजन लिपिक द्वारा संधारित किये जाने वाला एक रजिस्टर, जो कि विभिन्न अनुभागों/कार्मिकों से सेवा क्रमांक आवंटन की अवस्था एवं सेवा संयोजन विभाग में फाईल के प्राप्त होने पर स्थापन क्रमांक की प्रगति को इंगित करता है।

13 अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर शहर, जयपुर जिला, झालावाड, कोटा एवं सवाईमाधोपुर।

यह देखा जा सकता है कि अलवर, जयपुर शहर एवं जयपुर जिला में जारी कुल नये विद्युत सम्बन्धों में से क्रमशः 22.16, 11.13 एवं 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं के प्रथम बिल मैनुअल में नियत 90 दिन की अवधि से अधिक 91 व 666 दिनों के मध्य विचरित विलम्ब से जारी किये गये थे। आँकड़ों के आगे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि उपभोक्ताओं, जिनको प्रथम बिल विलम्ब से जारी किया गया था, उनमें से अलवर वृत्त में 72.65 प्रतिशत घरेलू श्रेणी के एवं 27.35 प्रतिशत अन्य श्रेणियों के थे जबकि जयपुर शहर वृत्त एवं जयपुर जिला वृत्त में यह क्रमशः 82.05 व 17.95 प्रतिशत तथा 91.47 व 8.53 प्रतिशत थे। इसके परिणामस्वरूप तीन वृत्तों में ₹ 2.77 करोड़ राशि की विद्युत देयताओं की वसूली में विलम्ब हुआ।

ए-49 रजिस्टर में प्रदान की गयी सूचनाओं के आधार पर एमएफ-1[14] तैयार किया जाता है एवं कम्प्यूटर बिलिंग एजेन्सी को बिलों को तैयार करने हेतु भेजा जाता है। हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उपखण्ड स्तर पर ए-49 रजिस्टर की निगरानी खराब थी एवं राजस्व स्टाफ ने भी एमएफ-1 नियत समय अवधि में तैयार नहीं किया था जिसके कारण बिलिंग एजेन्सी को एमएफ-1 भेजने में देरी हुयी एवं प्रथम बिल जारी करने में अनुवर्त्ती विलम्ब हुआ।

हमने देखा कि उपखण्डों द्वारा बिलों को समयोचित जारी किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण था विशेषकर तब जबकि कम्पनी वित्तीय संकट का सामना कर रही थी एवं ऋण के दूषित चक्र में थी। सहायक राजस्व अधिकारी को प्रशासनिक व राजस्व के पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं उपखण्डों में बिल वितरण का समग्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि नये सम्बन्ध स्थापित उपभोक्ताओं के प्रथम बिल यथोचित समय के भीतर जारी किये जाये एवं विलम्ब न हो। तथापि, प्रणाली की कमियों एवं विभिन्न स्तरों पर कार्य में शिथिलता के कारण उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी किये जाने में विलम्ब हुआ तथा विद्युत देयताओं की वसूली में अनुवर्त्ती विलम्ब हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2012) कि कभी-कभी स्टाफ की कमी अथवा मानवीय भूल/गलती के कारण प्रथम बिल(लों) को जारी करने में विलम्ब हुआ। इसने आगे कहा कि प्रणाली की वृत्त स्तर पर कर्मचारियों के साथ बैठकों में निगरानी की जा रही है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं, जिनको प्रथम बिल विलम्ब के साथ जारी किया गया था, की संख्या को देखते हुये विलम्ब सारगर्भित है। साथ ही, विलम्ब की अवधि भी अधिक है जो कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को प्रमाणित करती है एवं दर्शाती है कि विलम्ब के मामलों को न्यूनतम करने हेतु प्रणाली की निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, जयपुर शहर वृत्त व जयपुर जिला वृत्त के अधीक्षण अभियन्ताओं ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुये उत्तर दिया (जून 2012) कि फील्ड मशीनरी द्वारा नियत प्रक्रिया की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण प्रथम बिल में विलम्ब हुआ एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। तथापि, कम्पनी ने अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की थी (अक्टूबर 2012)।

सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर को पृष्ठांकित किया (जून 2012)।

---

14 नये स्वीकृत विद्युत सम्बन्धों सम्बन्धित प्रधान आँकड़ों की सूचना को भरने हेतु रूपरेखित की गयी प्रधान पुस्तक।

3.5 अतिरेक विद्युत त्यागने में विलम्ब के कारण हानि

एससीएल की विद्युत त्यागने में विलम्ब के कारण उच्च लागत (₹ 4.25 प्रति केडब्ल्यूएच) पर विद्युत का निरन्तर क्रय एवं अतिरेक विद्युत को सस्ती दरों पर विक्रय से ₹ 1.14 करोड़ की हानि हुयी।

राजस्थान सरकार (ऊर्जा विभाग) ने 'राजस्थान विद्युत प्रापण केन्द्र' (आरपीपीसी) को 'राजस्थान डिस्कामस् विद्युत प्रापण केन्द्र' (आरडीपीपीसी) के रूप में पुर्ननामकरण किया (अप्रैल 2009) एवं डिस्कामस्[15] को विद्युत के विक्रय/क्रय की प्रक्रिया सुदृढ़ किये जाने तथा आरपीपीसी को पुनर्गठन किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये। दिशा निर्देशों में प्रावधान किया गया है कि मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी), अध्यक्ष डिस्कामस् (जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) की सलाहनुसार, आकस्मिक व अल्पकालिक विद्युत क्रय/विक्रय से सम्बन्धित के साथ ही एक दिन पूर्व तैयार की जाने वाली अनुसूची हेतु तथा डिस्कामस् के मध्य परस्पर व्यापार द्वारा अनुकूलतम प्रापण हेतु सभी निर्णयों को लेने हेतु प्राधिकृत होगा।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि श्री सीमेण्ट लिमिटेड (एससीएल) ने 1 सितम्बर 2010 से 30 सितम्बर 2010 के दौरान ₹ 4.25 के इकाई मूल्य पर 65 मेगावाट अतिरेक विद्युत 'राउण्ड द क्लाक' (आरटीसी) विक्रय किये जाने का प्रस्ताव दिया (30 अगस्त 2010)। कम्पनी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया एवं एससीएल को 65 मेगावाट आरटीसी विद्युत के क्रय हेतु आशय-पत्र जारी किया था (31 अगस्त 2010)। एससीएल द्वारा 1 सितम्बर 2010 से विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ की गयी थी।

हमने पाया कि निदेशक (वित्त) ने दीर्घ एवं मध्यम कालिक विद्युत क्रय हेतु दिशा-निर्देशन समिति का एक सदस्य होने की हैसियत से सुझाव दिया (8 सितम्बर 2010) कि अच्छी आवृत्ति एवं ओवरड्रावल के द्वारा सस्ती विद्युत की उपलब्धता को देखते हुये एससीएल से विद्युत प्रापण के निर्णय की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। तथापि, मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) ने तत्काल निर्णय नहीं लिया था एवं बाद में, राजस्थान के साथ-साथ सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की सतत् उपलब्धता को देखते हुये 16 सितम्बर 2010 से एससीएल की 100 प्रतिशत विद्युत त्यागने, क्षतिपूर्ति के साथ, यदि कोई हो, के सभी तीनों डिस्कामस् के अधिशासी अभियन्ताओं के पत्र (15 सितम्बर 2010) पर मामले को विलम्ब से अध्यक्ष डिस्कामस् को प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को अध्यक्ष डिस्कामस् द्वारा उसी दिन अनुमत्य (20 सितम्बर 2010) किया गया था एवं 22 सितम्बर 2010 से 100 प्रतिशत विद्युत का त्याग किया गया था।

इस मामले में हमने आगे पाया कि 16 सितम्बर 2010 से 19 सितम्बर 2010 की अवधि के दौरान, आरडीपीपीसी ने एक तरफ तो एससीएल से 3530906 केडब्ल्यूएच विद्युत का क्रय

---

15 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

किया एवं वहीं दूसरी तरफ 22504000 केडब्ल्यूएच विद्युत ₹ 0.9252 व ₹ 1.0814 प्रति केडब्ल्यूएच के मध्य विचरित अत्यधिक सस्ती दर पर आईइएक्स के माध्यम से विक्रय[16] की।

हमने देखा कि मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) तथापि आकस्मिक व अल्पकालिक विद्युत के क्रय/विक्रय सम्बन्धी निर्णयों को लेने हेतु अधिकृत था, सभी तीनों डिस्कामस् के अधिशासी अभियन्ताओं के 16 सितम्बर 2010 से एससीएल की 100 प्रतिशत विद्युत त्यागने के निवेदन के पश्चात् भी विद्युत उपलब्धता की समीक्षा नहीं की थी। साथ ही, मामले को अध्यक्ष डिस्कामस् के समक्ष रखने में देरी के कारण एससीएल से ₹ 4.25 प्रति केडब्ल्यूएच की उच्च लागत पर विद्युत का क्रय व इसे सस्ती दरों पर बेचने से ₹ 1.14 करोड़ की हानि हुयी।

इस प्रकार, यदि मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) अभिभावी विद्युत उपलब्धता एवं अच्छी आवृत्ति को देखते हुये एससीएल की 100 प्रतिशत विद्युत त्यागने का समयोचित निर्णय लेता तो सस्ती दरों पर विद्युत विक्रय के पेटे ₹ 1.14 करोड़ की हानि को टाला जा सकता था।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि विद्युत की मांग में कमी, जो कि कई तथ्यों पर आधारित है यथा वर्षा अथवा तूफान या अन्य तत्वों के कारण उत्तरी क्षेत्र में मांग में कमी, के कारण 16 से 19 सितम्बर 2010 के दौरान आईइएक्स के माध्यम से विद्युत का विक्रय किया गया था। इसने आगे कहा कि विद्युत के त्यागने में कुछ समय लगता है, निर्णय लेने में दो या तीन दिवस का। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि मुख्य अभियन्ता ने अध्यक्ष डिस्कामस् को मामला विलम्ब से प्रस्तुत किया था जिसके कारण इस अवधि में बिना आवश्यकता के एससीएल से निरन्तर विद्युत क्रय करनी पड़ी। यदि शीघ्र निर्णय लिया जाता तो 16 से 19 सितम्बर के दौरान उच्च लागत पर क्रय की गयी विद्युत को टाला जा सकता था।

सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर को पृष्ठांकित किया (नवम्बर 2012)।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

3.6 नियमों के विरूद्ध भूमि का आवंटन करने से हानि

आईडीसी द्वारा फिनप्रोजेक्टस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को भूमि के आवंटन में रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979 के नियम 3 (डब्ल्यू) एवं 3(स) के उल्लंघन के कारण कम्पनी को ₹ 2.78 करोड़ के राजस्व की हानि।

फरवरी 2011 में संशोधित रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979 (रीको नियम) के नियम 3 (डब्ल्यू) में यह प्रावधान था कि ऐसी परियोजनाओं को औद्योगिक भूमि जिनमें (i) भूमि की लागत को छोड़ कर ₹ 30 करोड़ के न्यूनतम निवेश के साथ कम से कम 100 व्यक्तियों को सीधा रोजगार, (ii) एनआरआई/पीआईओ द्वारा परियोजना का स्थापन, (iii) परियोजना के

---

16 आईइएक्स के माध्यम से विक्रय की गयी विद्युत- 16 सितम्बर 2010 (9660000 केडब्ल्यूएच), 17 सितम्बर 2010 (7577000 केडब्ल्यूएच), 18 सितम्बर 2010 (3738000केडब्ल्यूएच) एवं 19 सितम्बर 2010 (1529000 केडब्ल्यूएच)। एससीएल से क्रय की गयी विद्युत-16 सितम्बर 2010 (909944 केडब्ल्यूएच), 17 सितम्बर 2010 (887435 केडब्ल्यूएच), 18 सितम्बर 2010 (844303 केडब्ल्यूएच) एवं 19 सितम्बर 2010 (889224 केडब्ल्यूएच)।

कुल निवेश में 33 प्रतिशत अथवा अधिक एफडीआई तथा (iv) आईटी उद्योग हेतु भूमि का आवंटन (निर्माण एवं सोफ्टवेयर विकास) शामिल हो, उन्हें सभी औद्योगिक क्षेत्रों में ''सतत् आधार पर'' समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा हितों/आवेदन पत्रों इत्यादि की आमंत्रण की आवश्यकता को दर किनार करते हुये वरीयता आधार पर आवंटन किया जा सकता है। साथ ही, संशोधन में यह भी प्रावधान था कि संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ आवंटन, नीलामी द्वारा पहले ही किया जा चुका हो, आवंटन दर विकास प्रभार की प्रचलित दर एवं उच्चतम दर, जिस पर औद्योगिक भूखण्ड नीलाम किया गया था, की औसत होगी। नियम 3(डब्ल्यू) के तहत भूमि आवंटित करने हेतु एक उप-समिति [17] सक्षम थी।

हमने पाया कि उप-समिति ने सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र चरण-III में, फिनप्रोजेक्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (उद्यमी), एक 100 प्रतिशत एफडीआई इकाई को 20000 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का निर्णय लिया (3 मार्च 2011)। उद्यमी ने भूमि आवंटन विकास प्रभार की प्रचलित दर पर बड़े आकार के भूखण्ड पर छूट के साथ किये जाने का निवेदन किया। समिति ने, तथापि, आवंटन की दर के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया एवं मामले को आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) को अग्रेषित कर दिया। आईडीसी ने, उद्यमी की इच्छानुसार, बड़े आकार के भूखण्ड के लिये नियम 3(स)[18] के तहत सभी छूट अनुमत्य करते हुये, 21430 वर्गमीटर भूमि विकास प्रभार की प्रचलित दर (₹ 4500 प्रति वर्गमीटर) पर आवंटित की (10 मार्च 2011)।

हमने देखा कि आईडीसी का निर्णय रीको नियमों के उल्लंघन में था क्योंकि भूखण्ड संतृप्त क्षेत्र में स्थित था एवं आवंटन ₹ 5100 प्रति वर्गमीटर पर किया जाना चाहिये था जो कि विकास प्रभार की प्रचलित दर (₹ 4500 प्रति वर्गमीटर) तथा उच्चतम नीलामी दर (2007 में ₹ 5700 प्रति वर्गमीटर पर नीलामी) का औसत थी। साथ ही, बड़े आकार के भूखण्ड पर छूट केवल असंतृप्त क्षेत्र में आवंटन किये जाने पर ही अनुमत्य थी। इस प्रकार, नियम 3(डब्ल्यू) एवं 3 (स) के उल्लंघन में आईडीसी के अन्यायोचित निर्णय के कारण कम्पनी को ₹ 2.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने कहा (अगस्त 2012) कि आईडीसी ने नियम 3(डब्ल्यू) के तहत पात्रता तथा मूल्य नीति की समीक्षा करने हेतु एक उप-समूह के गठन का निर्णय लिया (4 मई 2011) तथा जब तक उप-समूह के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाये, पूर्व में निर्धारित पात्रता की शर्तों तथा पूर्व निर्धारित दरों को ही लागू किया जाना था। इकाई कार्यालय द्वारा 10 मई 2011 को आवंटन किया गया था तथा नियमानुसार उस दिन की निर्धारित दरें ली गई थी। साथ ही, आईडीसी द्वारा 100 प्रतिशत एफडीआई तथा परियोजना की प्रतिष्ठा को देखते हुये बड़े आकार के भूखण्ड पर छूट अनुमत्य की गई थी एवं आईडीसी इस प्रकार के निर्णय लेने हेतु सक्षम थी।

17 संचालक मण्डल की उप-समिति जिसमें आयुक्त (निवेश एवं एनआरआई), आयुक्त (उद्योग), प्रबन्ध निदेशक (रीको) तथा सलाहकार (इन्फ्रा) शामिल हैं।

18 नियम 3(स) बड़े आकार के औद्योगिक भूखण्ड के आवंटन पर छूटः असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु, न्यूनतम 10000 वर्गमीटर औद्योगिक भूखण्ड के आवंटन पर विकास प्रभार की दर में 10 प्रतिशत छूट तथा प्रति 1000 वर्गमीटर पर 0.5 प्रतिशत की एक अतिरिक्त छूट, अधिकतम छूट 25 प्रतिशत, की शर्त पर अनुमत्य थी।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि आवंटन 4 मई 2011 से पहले किया गया था। साथ ही, विकास प्रभार की प्रचलित दर पर, बड़े आकार के भूखण्ड पर छूट अनुमत्य किये जाने के पश्चात्, आवंटन को पूर्व संशोधित दरों के तर्क पर न्यायोचित ठहराना निर्धारित नियमों का उल्लंघन भी था क्योंकि संतृप्त औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन बिना किसी छूट के केवल नीलामी द्वारा ही किया जा सकता था। इस प्रकार, इस मानदण्ड को अपनाने पर अंतिम नीलामी की दर के अनुसार हानि ₹ 4.10 करोड़ [(₹ 5700 घटायें ₹ 3802.50) प्रति वर्गमीटर X 21430 वर्गमीटर] की न्यूनतम सीमा तक होगी।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड

3.7 मार्ग दर्शिका का पालन न करने के कारण हानि

कम्पनी ने नई कोयला वितरण नीति की मार्ग दर्शिका का पालन नहीं करने एवं अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने हेतु उचित तंत्र विकसित करने में विफलता के कारण ₹ 1.19 करोड़ की हानि वहन की।

भारत सरकार (कोयला मंत्रालय) ने नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) बनाई (अक्टूबर 2007) जो कि 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी थी। एनसीडीपी में प्रावधान था कि 4200 टन प्रतिवर्ष से कम कोयले की आवश्यकता रखने वाले एसएण्डएमई को कोयला राज्य सरकार द्वारा नामित ऐजेन्सी द्वारा आवंटित किया जायेगा जो कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा निर्दिष्ट कोल कम्पनियों के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध (एफएसए) करेंगें। एनसीडीपी एवं भारत सरकार ने एसएण्डएमई को आवंटित कोयले के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया (फरवरी 2008)। यह भी दोहराया गया कि नामित एजेन्सी को एनसीडीपी लागू करने हेतु उचित निगरानी प्रणाली विकसित करनी चाहिये एवं यदि कोयले का दुरुपयोग/अन्य काम में लिये जाने के मामले में, एसएण्डएमई का आवंटन निरस्त किया जाना था।

राजस्थान सरकार ने इसकी अनुपालना में, राजस्थान राज्य के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कम्पनी) को नामित एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया (दिसम्बर 2007)। कम्पनी ने साऊथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के साथ दो वर्ष की अवधि हेतु 114000 टन कोयला प्रतिवर्ष की वार्षिक अनुबन्धित मात्रा (एसीक्यू) के लिये कोयला आपूर्ति अनुबन्ध (सीएसए) निष्पादित किया (अप्रैल 2008) जिसे बाद में 186000 टन तक बढ़ा दिया गया था (मई 2008)। सीएसए के वाक्यांश 4.8 में स्पष्ट प्रावधान था कि यदि कम्पनी किसी भी वर्ष में एसीक्यू की 60 प्रतिशत मात्रा उठाने में विफल रहती है, वह कम उठाई गई मात्रा के लिये 'डी' श्रेणी आरओएम[19] कोयले का वर्ष के अंतिम दिवस को प्रचलित आधार मूल्य का पांच प्रतिशत क्षतिपूर्ति भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी। सीएसए में आगे प्रावधान था कि यदि सम्बन्धित वर्ष हेतु उठाव का स्तर एसीक्यू के 30 प्रतिशत से कम होगा, एसईसीएल अनुबन्ध निरस्त कर सकेगा तथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। कम्पनी ने एसईसीएल को

19 खदान पर निकाला गया।

₹ 86.02 लाख[20] सुरक्षित जमा बैंक गारण्टी के रूप में जमा करवायी (अप्रैल 2008 एवं नवम्बर 2009 के मध्य)।

हमने देखा कि कम्पनी ने एनसीडीपी के अनुसार पंजीकरण व एसएण्डएमई को कोयले के वितरण हेतु मार्गदर्शिका नहीं बनाई थी। परिणामस्वरूप, वर्ष 2008-09 के दौरान एसएण्डएमई को कोयले की आपूर्ति में काला बाजारी इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई थी। कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के लिये देरी से एनसीडीपी के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका बनाई (जून 2009) जिसमें एसएण्डएमई को अप्रैल 2009 से सितम्बर 2009 तथा अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक की मांग के विरूद्ध यथानुपात आवंटित मात्रा के अनुसार क्रमशः ₹ 25 प्रति टन प्रत्येक की दो किश्तें सुरक्षित राशि की जमा करानी आवश्यक थी। मार्गदर्शिका में यह भी प्रावधान था कि एसएण्डएमई द्वारा आवश्यक मात्रा उठाने में विफल रहने पर, आरोपित की गयी ऐसी कोई क्षतिपूर्ति एवं अन्य देयताओं की वसूली एसएण्डएमई से की जायेगी।

कम्पनी द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 120 एसएण्डएमई से 390490 टन कोयले की पंजीकृत मांग के समक्ष मात्र 41295.04 टन कोयला ही उठाया जा सका। कम्पनी ने कथित अनियमितताओं (काला बाजारी) के पेटे, प्रापण नहीं किये जाने के प्रशासनिक निर्णय के कारण तथा एसएण्डएमई द्वारा नियत तिथि तक उनकी वार्षिक पंजीकृत मांग के अनुसार निश्चित मासिक मांग के अभाव में, जबकि कम्पनी ने अपनी वेबसाइट पर कोयले की रेकों की उपलब्धता इंगित कर दी थी, एसईसीएल से कई महीनों[21] में कोयला का प्रापण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने निर्धारित नीति के अनुसार, सभी पंजीकृत एसएण्डएमई से सुरक्षा जमा एकत्र करने तथा वितरित कोयले के उपयोगिता प्रमाण पत्र को सुनिश्चित नहीं किया था। कुछ मामलों में, एसएण्डएमई द्वारा, जैसा कि कम्पनी की मार्गदर्शिका के अनुसार आवश्यक था, उनकी मासिक मांग के समक्ष 100 प्रतिशत अग्रिम भी जमा नहीं कराया गया था। कोयले के कम उठाव (22.20 प्रतिशत) के कारण एसईसीएल ने न केवल ₹ 32.89 लाख (वित्तीय सुरक्षा के विरूद्ध जमा राशि में से कटौती) की शास्ति आरोपित की (जुलाई 2010) अपितु ₹ 86.02 लाख की सुरक्षा जमा की बैंक गारण्टी भी भुना ली (जनवरी 2011)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ की हानि हुई।

यदि कम्पनी द्वारा पंजीकृत एसएण्डएमई से उनकी वार्षिक मांग के समक्ष यथानुपात आधार पर आवश्यक सुरक्षा जमा राशि एकत्रित कर ली गई होती, यह दोषी एसएण्डएमई से कम से कम ₹ 93 लाख[22] वित्तीय सुरक्षा की वसूली कर सकती थी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2012) कि वर्ष 2009-10 के दौरान कोयले का कम उठाव, एसएण्डएमई द्वारा कोयला उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने, पूर्ण सुरक्षा/अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि को जमा नहीं करने, समाचार पत्रों में कालाबाजारी के समाचार प्रकाशित होने तथा माननीय अध्यक्ष (राजस्थान राज्य विधानसभा) के निर्देशानुसार व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

---

20 बैंक गारण्टीः ₹ 4797500 के लिये दिनांक 7 अप्रैल 2008 को, ₹ 3030000 के लिये दिनांक 6 सितम्बर 2008 को तथा ₹ 775000 के लिये दिनांक 4 नवम्बर 2009 को।

21 प्रापण नहीं करने के प्रशासनिक निर्णय के कारण दिसम्बर 2009, जनवरी 2010, फरवरी 2010 तथा मार्च 2010 में कोयला क्रय नहीं किया गया।

22 ₹ 25 प्रतिटन X 2 X 186000।

द्वारा की जा रही विभिन्न जाँचों के कारण हुआ। इसने आगे कहा कि जब्त की गई सुरक्षा जमा राशि तथा आरोपित की गई शास्ति के वापसी के मामले लम्बित थे (सितम्बर 2012)। तथ्य यह है कि कम्पनी ने एनसीडीपी की मार्गदर्शिका का अनुपालना नहीं करने तथा सीएसए की कठोर नियमों व शर्तों के अनुसार अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने हेतु कोई उचित तंत्र विकसित नहीं किये जाने के कारण ₹ 1.19 करोड़ की हानि वहन की।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

3.8 मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान

कम्पनी ने राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए वृद्धि की गई अधिकृत अंश पूँजी पर मुद्रांक शुल्क के पेटे ₹ 65 लाख का अधिक भुगतान किया।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 97 के तहत अपनी अधिकृत अंश पूँजी में ₹ 20 करोड़ से ₹ 200 करोड़ तक वृद्धि की (सितम्बर 2010)। अधिकृत अंश पूँजी में की गयी वृद्धि को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के पास, वृद्धि की गई पूँजी पर 0.5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम ₹ 25 लाख तक, प्रस्तुतीकरण शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् पंजीकृत कराया जाना था।

हमने पाया कि कम्पनी ने ₹ 25 लाख की अधिकतम सीमा को अनदेखा करते हुये वृद्धि की गई अंश पूँजी (₹ 180 करोड़) पर 0.5 प्रतिशत की दर से ₹ 90 लाख के मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया (अक्टूबर 2010)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65 लाख के मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान हुआ। साथ ही, यह भी पाया गया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार मुद्रांक शुल्क की छूट देने की शक्तियाँ रखती है परन्तु कम्पनी ने मुद्रांक शुल्क के भुगतान से विमुक्त किये जाने हेतु कभी प्रयास नहीं किये जैसा कि राज्य सरकार की अन्य कम्पनियों ने किया था।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2012) तथा बताया कि अधिक भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क की वापसी की कार्यवाही की जा रही थी। साथ ही, राज्य सरकार से मुद्रांक शुल्क के भुगतान से विमुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया जायेगा। तथापि, वापसी अभी तक प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2012)।

मामले को राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (अक्टूबर 2012) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

3.9 छूट प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के कारण हानि

कम्पनी ने कम्पोजिट भुगतान योजना का लाभ नहीं उठाने के कारण वेट के पेटे ₹ 34 लाख का अधिक भुगतान किया।

राजस्थान सरकार ने भवन, सड़क, पुल, बाँध, नहर तथा सीवरेज प्रणाली से सम्बन्धित निर्माण संविदाओं में संलिप्त पंजीकृत डीलर्स को संविदा की कुल कीमत का 1.50 प्रतिशत कम्पोजिट शुल्क के भुगतान करने पर मूल्य संवर्धित कर (वेट) के भुगतान से छूट प्रदान की (अगस्त

2006)। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, जोधपुर के आवासीय परिसर के निर्माण कार्य को ₹ 48.87 करोड़ की कुल कीमत पर निष्पादित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2007)। हमने पाया कि कम्पनी ने कम्पोजिट भुगतान योजना, यह विचार करते हुये कि यह निष्फल होगा, का विकल्प चुनने के बजाय नियमित आधार पर वेट के भुगतान का निर्णय लिया।

कम्पनी का यह निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि कम्पोजिट योजना के तहत कुल शुल्क ₹ 73.31 लाख (₹ 48.87 करोड़ X 1.5/100) देय था जबकि नियमित आधार पर मार्च 2012 तक (स्टील एवं सीमेंट क्रय किये जाने पर उपलब्ध इनपुट क्रेडिट को विचार करते हुये) कम्पनी ने ₹ 1.07 करोड़ के वेट का भुगतान किया। इस प्रकार, कम्पनी ने कम्पोजिट भुगतान योजना का लाभ नहीं उठाने के कारण ₹ 34 लाख का अधिक भुगतान किया।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (अक्टूबर 2012) तथा उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

3.10 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कर की वसूली का अभाव

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कर ₹ 18.10 लाख की वसूली का अभाव।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु संसाधन वृद्धि करने हेतु 'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कर अधिनियम, 1996' (अधिनियम) अधिसूचित किया। राजस्थान सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु, राज्य सरकार के सभी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के भुगतान किये गये बिलों में से एक प्रतिशत की दर से कर कटौती का निर्देश दिया (9 जुलाई 2010)। यह भी निर्देशित किया गया था कि कर को लगाने एवं संग्रहण के लिये विच्छेद दिनांक 27 जुलाई 2009[23] होगी तथा संग्रहित राशि को इसके संग्रहण के 30 दिवस के भीतर 'राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल' (कल्याण मण्डल) को हस्तांतरित करना होगा।

अभिलेखों के अनुसार, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को अधिसूचना 14 जुलाई 2010 को प्राप्त हुई थी। कम्पनी की वित्त शाखा के अभिलेखों में ऐसी कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं होना बताया गया (26 जुलाई 2011)। साथ ही, यह प्रकट हुआ कि कम्पनी को कर कटौती के लिये अधिसूचना की जानकारी जुलाई 2011 में जारी लेखापरीक्षा टिप्पणी मात्र से ही हुई एवं तत्पश्चात् ठेकेदारों, जिन्हें 1 जुलाई 2010 के बाद कार्यादेश जारी किये गये थे, के बिलों में से एक प्रतिशत कर कटौती के निर्देश जारी किये गये (अगस्त 2011)। कम्पनी ने 27 जुलाई 2009 से 2 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को ₹ 28.40 करोड़ के बिलों का भुगतान किया परन्तु ₹ 28.40 लाख के समक्ष मात्र ₹ 10.30 लाख कर

23 कर को लगाने एवं संग्रहण हेतु, 27 जुलाई 2009 की तिथि को विच्छेद तिथि माना गया क्योंकि इस तिथि को राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अधिसूचित किया गया था एवं अस्तित्व में आया था।

की कटौती की व जमा किये एवं इस प्रकार ₹ 18.10 लाख कर की कम वसूली की। कम्पनी ने अधिसूचना को कार्यान्वित नहीं किया था क्योंकि कर का संग्रहण 23 अगस्त 2011 के बाद से ही किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 27 जुलाई 2009 के बजाय 1 जुलाई 2010 से कर लगाने का निर्णय भी न्यायोचित नहीं था। वसूली की संभावनाऐं कमजोर थी क्योंकि ठेकेदारों के बिलों का अंतिम समायोजन पूर्व में ही किया जा चुका था।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये (अक्टूबर 2012) कहा कि शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहें हैं। सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर को पृष्ठांकित किया (अक्टूबर 2012)।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

3.11 राज्य सरकार की कम्पनियों में निगमित शासन

प्रस्तावना

3.11.1 उचित निगमित शासन अनुशीलन सभी हितधारियों के प्रति कम्पनियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। सूचीबद्ध कम्पनियों में निगमित शासन, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सूचीबद्धता अनुबन्ध के वाक्यांश 49 के प्रावधानों की अनिवार्य अनुपालना के द्वारा अधिनियमित किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) विभिन्न प्रावधानों यथा धारा 210 (1) (वार्षिक साधारण सभा), धारा 217 (2 एए) (निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण), धारा 285 (निदेशक मंडल की बैठक) एवं धारा 292 ए (अंकेक्षण समिति का गठन जिनमें चुकता अंश पूँजी ₹ 5 करोड़ से कम नहीं है) इत्यादी के द्वारा ऐसी परम्पराएँ निर्धारित करता है जिनसे कम्पनियों में एक सुदृढ़ निगमित शासन ढ़ाँचे का निर्माण होता है।

राजस्थान सरकार की कम्पनियों की समीक्षा

3.11.2 31 मार्च 2011 को तीन अकार्यरत कम्पनियों सहित 42 सरकारी कम्पनियाँ थी तथा इनमें से कोई भी प्रतिभूति बाजार (रों) में सूचीबद्ध नहीं थी। 39 कार्यरत कम्पनियों में से सात कम्पनियाँ 2010-11 के दौरान समामेलित हुई थी, दो कम्पनियाँ 2011-12 के दौरान निजीकृत हो गई तथा 12 कम्पनियों की चुकता अंश पूँजी ₹ 5 करोड़ से कम थी। शेष 18 कम्पनियों में से पाँच प्रमुख कम्पनियाँ यथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल), प्रभावी निगमित शासन को सुनिश्चित करने के लिये मार्च 2011 को समाप्त होने वाले गत चार वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा के लिये चयनित की गई।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उचित निगमित शासन के संस्थाकरण के लिये दिशा-निर्देश जारी (मार्च 1992) किये। हांलाकि, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई निर्देश/दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये।

निदेशक मंडल की बैठक

3.11.3 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 यह प्रावधान करती है कि एक कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तीन महिनों में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिये तथा प्रत्येक वर्ष में कम से कम ऐसी चार बैठकें आयोजित की जानी चाहिये।

हमने देखा कि राजसिको में दिसम्बर 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही में निदेशक मंडल की बैठक आयोजित नहीं हुई तथा आरएसएमएमएल में 2009, 2010 एवं 2011 कैलेण्डर वर्ष में निदेशक मंडल की केवल तीन बैठकें आयोजित की गई। इस प्रकार, एक वर्ष में कम से कम चार बैठकों की अनिवार्यता के समक्ष उल्लेखित समयावधि में इन दो कम्पनियों में निदेशक मंडल की मात्र तीन बैठकें आयोजित की गई।

आरएसएमएमएल के मामले में सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि उपरोक्त वर्षों में निदेशक मंडल की चौथी बैठक आयोजित नहीं करने का कारण यह था कि बैठकों में विचार विमर्श के लिए पर्याप्त मुद्दे नहीं थे।

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

3.11.4 सभी निदेशकों की प्रभावी भागीदारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जानी होती है। पाँच चयनित कम्पनियों के निदेशक मंडल की बैठकों में अकार्यकारी निदेशकों की उपस्थिति नियमित नहीं थी जैसा की **अनुबन्ध–19** से स्पष्ट है। हमने देखा कि ऐसे निदेशक, जो बैठकों से अनुपस्थित रहे, अपने न्यासिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे।

अविविनिलि एवं जविविनिलि के मामले में सरकार ने बताया (जुलाई एवं अगस्त 2012) कि बैठकों की सूचना निदेशकों को समय समय पर प्रदान की गई थी परन्तु सरकार के स्तर पर पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं/अतिआवश्यक बैठकों के कारण कुछ निदेशक बोर्ड की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सके थे। आरएसएमएमएल के मामले में यह बताया (अगस्त 2012) गया कि वह निदेशक जिसने अपने कार्यकाल (जुलाई 2009 से मार्च 2011) के दौरान आठ बैठकों में से किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया था उसके पास निदेशक (खान) एवं आयुक्त (आबकारी) का दोहरा प्रभार था। तथ्य यही है कि निदेशक अपने न्यासिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे।

अंकेक्षण समिति का गठन एवं कार्यपद्धति

3.11.5 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनी, जिसकी चुकता पूँजी **₹** पाँच करोड़ से कम नहीं है, के द्वारा निदेशक मंडल के स्तर पर एक अंकेक्षण समिति का गठन करना आवश्यक है। अंकेक्षण समिति में कम से कम तीन निदेशक तथा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निदेशक होने चाहिये जिनमें से सदस्यों की कुल संख्या के दो- तिहाई निदेशक प्रबन्ध अथवा पूर्ण कालिक निदेशकों के अतिरिक्त होने चाहिये। इस प्रकार गठित की गई प्रत्येक अंकेक्षण समिति, निदेशक मंडल द्वारा लिखित में निर्दिष्ट संदर्भ नियमों के अनुसार कार्य करेगी। अंकेक्षण समिति की वैधानिक आवश्यकता निर्णयण की परिष्कृत गुणवत्ता के साथ निगमित शासन एवं हितधारियों की अपेक्षाओं को पूर्ण

करने में वित्तीय रिपोर्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करती है। साथ ही, धारा 292 ए(3) यह प्रावधान करती है कि अंकेक्षण समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन अंकेक्षण समिति के संयोजन को प्रकट करेगा।

चयनित कम्पनियों में 2008-11 के दौरान आयोजित की गई अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या नीचे दी गई है:

कम्पनी का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	योग
आरएसएमएमएल	1	1	1	3
रीको	2	2	2	6
राजसिको	1	1	2	4
जविविनिलि	2	2	4	8
अविविनिलि	2	5	6	13

अंकेक्षण समिति के कार्य विवरण की समीक्षा ने निम्नलिखित को प्रकट किया:

- आरएसएमएमएल की अंकेक्षण समिति के सदस्यों ने इसकी 17वीं बैठक (25 नवम्बर 2009) के लिये अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया इसलिये बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संचालित की गई।
- राजसिको की अंकेक्षण समिति का संयोजन 2008-11 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रकट नहीं किया गया था।
- आरएसएमएमएल के निदेशक मंडल ने 326वीं बैठक (2 जून 2001) में अंकेक्षण समिति के संदर्भ नियम निर्धारित किये जिनमें यह प्रावधान था कि समिति की बैठकें समय-समय पर जैसा यह उचित माने, पर होगी तथा किसी भी परिस्थिति में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेगी। तथापि, हमने देखा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित संदर्भ नियमों के उल्लंघन में 2008-11 के दौरान समिति की केवल तीन बैठकें हुई (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार)।

आरएसएमएमएल के संदर्भ में सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि प्रति वर्ष दो बैठकें प्रमुखतया वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा उसके पश्चात् के वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। साथ ही, एक वर्ष के वार्षिक लेखों के तैयार करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अगले वर्षों के वार्षिक लेखों को तैयार करने में विलम्ब हुआ क्योंकि गत वर्ष के लिये लेखापरीक्षा अगले वर्ष सितम्बर/अक्टूबर तक जारी रही।

सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों की उपस्थिति

3.11.6 धारा 292ए (5) अंकेक्षण समिति की बैठकों में कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों एवं प्रभारी निदेशक (वित्त) की उपस्थिति तथा भागीदारी को अनिवार्य बनाती है। हमने देखा कि अंकेक्षण समिति की बैठकों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की उपस्थिति नगण्य थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

कम्पनी	2008-11 के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षक उपस्थित थे
रीको	6	4
राजसिको	4	1
जविविनिलि	8	2
अविविनिलि	13	1

अविविलिलि एवं जविविनिलि के संदर्भ में सरकार ने बताया (जुलाई एवं अगस्त 2012) कि सांविधिक लेखापरीक्षकों को अंकेक्षण समिति की बैठकों हेतु सूचना प्रदान की गई थी परन्तु पूर्व-व्यस्तताओं के कारण वे बैठकों में उपस्थित नहीं हो सके।

वित्तीय विवरणों एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार विमर्श

3.11.7 धारा 292ए (6) यह विहित करती है कि अंकेक्षण समिति द्वारा लेखापरीक्षकों के साथ समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित लेखापरीक्षा के क्षेत्र के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए तथा निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पूर्व अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की जानी चाहिये तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की अनुपालना भी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

हमने पाया कि रीको की अंकेक्षण समिति ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ, स्थायी सम्पत्तियों के उचित अभिलेखों के संधारण का अभाव, बकाया राशियों के सहायक खातों तथा ईकाई स्तर पर वसूली के संबंध में कमजोर आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों तथा नियमों एवं विनियमों की अनुपालना के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिये उनके प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों पर चर्चा नहीं की। इसी प्रकार, ढाँचागत गतिविधियों के लिये आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिये सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों को भी नजर-अंदाज कर दिया गया। निदेशक मंडल ने भी इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिये समिति को निर्देश जारी नहीं किये।

अंकेक्षण समिति की सिफारिशों की अनुपालना

3.11.8 धारा 292ए (8) यह विहित करती है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित वित्तीय प्रबन्ध से संबंधित किसी भी मामले पर अंकेक्षण समिति की सिफारिशें निदेशक मंडल पर बाध्यकारी होंगी। साथ ही, उप-धारा 9 यह बताती है कि यदि निदेशक मंडल अंकेक्षण समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं करता है तो निदेशक मंडल इसके कारण अभिलेखित करेगा तथा अंशधारियों को इन कारणों से अवगत करायेगा। इन प्रावधानों की अनुपालना में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई हैः

आरएसएमएमएल वार्षिक प्रतिवेदन में टिप्पणी के रूप में दर्ज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के मुद्दे पर अंकेक्षण समिति ने अपनी 17वीं बैठक (25 नवम्बर 2009) में वीआरएस की शेष राशि हेतु दावे आंमत्रित करने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की सिफारिश की थी। तथापि, उक्त सिफारिश की अनुपालना में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा कारण भी अभिलेखित नहीं किये गये। साथ ही, डीजल उपभोग के लक्ष्य तय करने के संबंध में समिति की राय (18वीं बैठक में दोहराई गई) पर निदेशक मंडल की अगली बैठकों में चर्चा नहीं की गई।

सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि वीआरएस की शेष राशि के लिये दावे आंमत्रित करने के लिये समाचार पत्र में एक विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाने वाला है तथा डीजल उपभोग के मानकों पर एक विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे निदेशक मंडल एवं अंकेक्षण समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

रीको सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिये उनके प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में रीको की अंकेक्षण समिति ने यह निर्देशित किया कि भूमि के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारम्भ किया जाये तथा अगले वर्ष के लेखों के अंतिमीकरण से पूर्व कार्य पूर्ण किया जाये। समिति की सिफारिश की अनुपालना नहीं की गई तथा वर्ष 2010-11 के लिये लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उक्त टिप्पणी पुनः दोहराई गई।

राजसिको 15वीं (अंकेक्षण समिति का गठन तथा बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण) तथा 17वीं (अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक) अंकेक्षण समिति की सिफारिशें निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत नहीं की गई।

एजीएम में अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति

3.11.9 धारा 292ए (10) यह विहित करती है कि अंकेक्षण समिति का अध्यक्ष लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर कोई स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कम्पनी की वार्षिक साधारण सभाओं में उपस्थित होगा। हमने पाया कि रीको की अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष वर्ष 2009-10 के लेखों को अपनाने के लिये आयोजित की गई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित नहीं थे।

वार्षिक साधारण सभा

3.11.10 धारा 210 (1) यह विहित करती है कि धारा 166 के अनुसरण में आयोजित की गई कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में निदेशक मंडल, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समयावधि समाप्ति के लिये एक स्थिति विवरण तथा उक्त अवधि के लिये एक लाभ–हानि खाता कम्पनी के समक्ष रखेंगे। उप-धारा 3 (ब) यह विहित करती है कि किसी अनुवर्ती एजीएम (प्रथम एजीएम के अतिरिक्त) के मामले में लाभ-हानि खाता उक्त अवधि से संबंधित होना चाहिये जो उस अवधि के ठीक अगले दिन से प्रारम्भ होगी जिसके लिये गत लेखे प्रस्तुत किये गये थे तथा उस दिन समाप्त होगी जो सभा के दिन छः माह से पहले का नहीं हो अथवा ऐसे मामलों में जहाँ धारा 166 की उप-धारा (1) के द्वितीय प्रावधान के अन्तर्गत सभा आयोजित करने के लिये समय बढ़ाया गया है, वहाँ छः माह एवं बढ़ाये गये ऐसे समय से अधिक नहीं होगी।

हमने पाया कि एमसीए ने आरएसएमएमएल के निवेदन पर अधिनियम की धारा 166 एवं 210 में निर्दिष्ट तय सीमा में लेखों के सामयिक अन्तिमीकरण एवं उनकी लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देशों के साथ एजीएम आयोजित करने के लिये तीन माह अर्थात् 31 दिसम्बर 2009 तक का अतिरिक्त समय प्रदान (11 सितम्बर 2009) किया। तथापि, आरएसएमएमएल, एमसीए द्वारा स्वीकृत की गई सांविधिक समय सीमा में एजीएम आयोजित करने में विफल रहा तथा एजीएम विलम्ब से 27 जनवरी 2010 को आयोजित की गई जिसमें वर्ष 2008-09 के लिये वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ अपनाये गये।

सबसे बुरी स्थिति अविविनिलि एवं जविविनिलि में पाई गई जहाँ अधिनियम में निर्दिष्ट की गई समय सीमा में एजीएम आयोजित करने के लिये प्रयास करने के एमसीए के बार-बार निर्देशों के उपरान्त भी एजीएम आयोजित करने के लिये वर्ष दर वर्ष समय विस्तार मांगा गया। अविविनिलि एवं जविविनिलि में आयोजित एजीएम तथा वार्षिक लेखों को अपनाने का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	अविविनिलि			जविविनिलि		
	दिनाँक जिस तक एजीएम आयोजित की जानी थी		एजीएम आयोजित करने की दिनाँक	दिनाँक जिस तक एजीएम आयोजित की जानी थी		एजीएम आयोजित करने की दिनाँक
	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार	एमसीए के द्वारा प्रदत्त समय विस्तार के अनुसार		अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार	एमसीए के द्वारा प्रदत्त समय विस्तार के अनुसार	
2007-08	30 सितम्बर 2008	31 दिसम्बर 2008	30 जून 2010	30 सितम्बर 2008	31 दिसम्बर 2008	24 दिसम्बर 2008
2008-09	30 सितम्बर 2009	31 दिसम्बर 2009	14 फरवरी 2011	30 सितम्बर 2009	31 दिसम्बर 2009	13 दिसम्बर 2010
2009-10	30 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	1 जुलाई 2011	30 सितम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	15 सितम्बर 2011
2010-11	30 सितम्बर 2011	31 दिसम्बर 2011	*	30 सितम्बर 2011	31 दिसम्बर 2011	*

* *वर्ष 2010-11 के लेखे अभी तक (अक्टूबर 2012) तैयार नहीं किये गये है।*

यह देखा जा सकता है कि अविविनिलि एवं जविविनिलि दोनों, अधिनियम में निर्धारित की गई निर्दिष्ट अवधि में एजीएम्स आयोजित करने में विफल रहे। एजीएम्स आयोजित करने में, एमसीए द्वारा बढ़ाये गये समय के अतिरिक्त भी, क्रमशः 181 से 542 दिनों एवं 257 से 346 दिनों तक का भारी विलम्ब था। हमने देखा कि लेखों को अपनाये जाने में असाधारण विलम्ब, लेखामानकों की पालना नहीं करने तथा वर्ष 2009-10 की हानि को गलत रूप से राज्य सरकार से अर्थ-साहाय्य के रूप में वसूलनीय दर्शाने के कारण लेखों के पुनर्लेखन की वजह से था। लेखामानकों की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अविविनिलि के वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लेखों तथा जविविनिलि के मामले में वर्ष 2007-08 के लेखों पर सत्य एवं उचित नहीं का प्रमाण पत्र जारी किया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी जविविनिलि के वर्ष 2008-09 के लेखों पर 'अस्वीकरण' तथा वर्ष 2009-10 के लेखों पर 'सत्य एवं उचित नहीं' का प्रमाण पत्र प्रदान किया।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि चयनित पाँच कम्पनियों की एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति कमजोर रही। 2010-11 को समाप्त होने वाले तीन वर्षो के दौरान आरएसएमएमएल में यह मात्र 22 से 75 प्रतिशत, रीको में 44 से 55 प्रतिशत, राजसिको में 33 से 57 प्रतिशत, जविविनिलि में 37 से 43 प्रतिशत की सीमा में रही तथा अविविनिलि में यह 50 से 55 प्रतिशत की सीमा में रही।

आरएसएमएमएल के मामले में सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण एजीएम्स आयोजित करने में विलम्ब हुआ।

कपट निरोधक एवं भ्रष्टाचार निरोधक नीतियाँ एवं प्रणालियाँ

3.11.11 कपट, प्रबन्धन; जिन्हें प्रशासन का प्रभार सौंपा गया है, कर्मचारियों अथवा तृतीय पक्षकारों में से एक अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य है जिसमें छल का उपयोग अथवा अनुचित अथवा अवैधानिक फायदा प्राप्त करना सम्मिलित है। कपट को रोकने तथा पकड़ने का उत्तरदायित्त्व उनके पास होता है जिन्हें संस्था के प्रशासन एवं प्रबन्धन का प्रभार सौंपा गया है। प्रबन्धन, जिसके पास प्रशासन की निगरानी का प्रभार है, के द्वारा आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली के क्रियान्वयन एवं निरन्तर संचालन के माध्यम से इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाना चाहिये। कपट एवं भ्रष्टाचार की संभावना को न्यूनतम करने के लिये अंकेक्षण समिति द्वारा कम्पनी की कपट निरोधक एवं भ्रष्टाचार निरोधक नीतियाँ

एवं प्रणालियाँ बनाई जानी एवं समीक्षा की जानी चाहिये। तथापि, पाँच चयनित कम्पनियों के मामले में अंकेक्षण समिति ने कपट निरोधक एवं भ्रष्टाचार निरोधक नीतियों एवं प्रणालियों की समीक्षा नहीं की थी।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

3.11.12 मुख्य कमजोरियाँ, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति, अंकेक्षण समिति की बैठकें आयोजित करने एवं उनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों की उपस्थिति तथा अंकेक्षण समिति द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों एवं आतंरिक नियत्रंण प्रणाली पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर चर्चा करने में थी। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा अंकेक्षण समिति की सिफारिशों की अनुपालना का अभाव तथा लेखा मानकों के आधार पर लेखों को समय पर तैयार करना एवं एजीएम में उनको अपनाया जाना भी कम्पनी द्वारा सुधार किये जाने के मुख्य क्षेत्र थे। निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिये तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने चाहिये। जोखिम प्रबन्धन, आतंरिक नियंत्रण एवं बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग की परिष्कृत प्रणालियों को बढ़ावा देने में अंकेक्षण समिति के निष्पादन के मूल्यांकन के लिये एक मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिये।

सांविधिक निगम

राजस्थान वित्त निगम

3.12 नियमों की अवहेलना में भविष्य निधि में आधिक्य योगदान

निगम ने राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 48 की अवहेलना में राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना कर्मचारी भविष्य निधि के लिए दो प्रतिशत आधिक्य अभिदान के रूप में ₹ 4.36 करोड़ की राशि का योगदान किया।

'राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (एसएफसी अधिनियम 1951) के अन्तर्गत स्थापित राजस्थान वित्त निगम (निगम) ने निगम के कर्मचारियों के हित के लिये भविष्य निधि की स्थापना तथा अनुरक्षण हेतु एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 48 के अन्तर्गत 'राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1958 (पीएफ विनियम) बनाये। भारत सरकार ने भी 'भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (पीएफ अधिनियम, 1925) की धारा 8(2) के अन्तर्गत पीएफ विनियम अधिसूचित किये (दिसम्बर 1961) तथा यह निर्देश प्रदान किये कि निगम के कर्मचारियों के हित के लिये स्थापित किसी भी भविष्य निधि के लिये इसके प्रावधान लागू होंगे। एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल, लघु उद्योग बैंक के साथ विचार विमर्श एवं राज्य सरकार की पुर्वानुमति के पश्चात् पीएफ विनियमों में संशोधन करने के लिये सक्षम था।

हमने पाया कि निदेशक मंडल ने पीएफ विनियम 7 एवं 9(1) (क्रमशः नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा अभिदान की दर) में संशोधन को अनुमोदित किया (अक्टूबर 1998) तथा कर्मचारी

भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ अधिनियम, 1952) में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन (22 सितम्बर 1997) के अनुरूप अभिदान की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया। संशोधन सितम्बर 1997 से लागू किये जाने हेतु अनुमोदित किये गये थे। निगम ने, एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 48 की आवश्यकताओं की पालना करने के लिये पीएफ विनियमों में संशोधन के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुमोदन हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) एवं राज्य सरकार से निवेदन किया (नवम्बर 1998) तथा इसी दौरान आईडीबीआई एवं राज्य सरकार से अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्णय को लागू कर दिया (जनवरी 1999)। आईडीबीआई ने निदेशक मंडल के निर्णय को राज्य सरकार से अनुमोदन के अधीन अपनी अनुमति प्रदान की (फरवरी 1999)। तथापि, राज्य सरकार (सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो) ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (अक्टूबर 1999) तथा पाया कि निगम ने ईपीएफ अधिनियम, 1952 में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अभिदान की दर में वृद्धि की थी जिसके प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही, इसने कहा कि सरकार को भविष्य निधि में कर्मचारियों के अभिदान की दर में वृद्धि करने पर कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु नियोक्ता के अंशदान की दर में वृद्धि से निगम पर वित्तीय भार में वृद्धि होती जो कि उन परिस्थितियों में वांछनीय नहीं था। हमने आगे पाया कि अक्टूबर 1999 से फरवरी 2004 के मध्य पत्राचार के पश्चात् राज्य सरकार ने अन्ततः भविष्य निधि में निगम के अंशदान की दर में वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया (जून 2004)। तथापि, निगम ने राज्य सरकार के निर्णय की पालना नहीं की तथा भविष्य निधि में बढ़ी हुई दर पर अपना अंशदान देना जारी रखा। राज्य सरकार ने बिना इसकी अनुमति के बढ़ी हुई दर पर अंशदान की वैधानिकता पर पुनः प्रश्नचिन्ह लगाया (सितम्बर 2011)।

राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना निगम का निर्णय न केवल एसएफसी अधिनियम, 1951 का सांविधिक उल्लंघन था बल्कि राज्य सरकार की अस्वीकृति के उपरान्त भी इस परिपाटी को जारी रखने से सितम्बर 1997 से मार्च 2012 तक भविष्य निधि में आधिक्य अंशदान के परिणामस्वरूप इस पर ₹ 4.36 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय दायित्व का भार आया।

सरकार ने बताया (मई 2012) कि राज्य सरकार ने भविष्य निधि अंशदान की दर में 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि को अभी तक अनुमोदित नहीं किया है तथा मामला विचाराधीन है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

3.13 परामर्शदाताओं को नियुक्त करने एवं निविदा के विज्ञापन पर व्यर्थ व्यय

निगम ने विशिष्ट आवश्यकताओं का आंकलन किये बिना निविदा प्रलेखों एवं करार मसौदा तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जिसके कारण प्रलेखों को निरस्त करना पड़ा एवं ₹ 26.06 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) कुछ मार्गों पर अति आरामदायक वोल्वो बसों का संचालन निजी मालिकों से उक्त बसें किराये पर लेकर करता है। बसें, निविदायें आमंत्रित कर

एवं बसों के मालिक के साथ करार निष्पादित कर किराये पर ली जाती है। निगम ने ऐसी 78[24] और बसों को निजी बस मालिकों से किराये पर लेकर संचालन करने का निर्णय लिया (6 नवम्बर 2009) क्योंकि यह अति आरामदायक बसों का स्वंय का बेड़ा नहीं रखता था। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) ने बसों को किराये पर लेने हेतु विशिष्ट निविदा प्रलेखों एवं करार मसौदा तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये (6 नवम्बर 2009)। परामर्शदाताओं द्वारा 9 नवम्बर 2009 को निविदा प्रलेख एवं करार मसौदा प्रस्तुत किये गये थे।

हमने पाया (दिसम्बर 2011) कि सीएमडी ने परामर्शदाताओं को लेने के अपने निर्णय को इस आधार पर न्यायसंगत ठहराया (9 नवम्बर 2009) कि बसों को किराये पर लेने हेतु यह बड़ी निविदा थी एवं निगम को भारत के विभिन्न भागों से बहुत अधिक संचालकों के भाग लेने की संभावना थी। यह भी न्यायसंगत ठहराया गया था कि निविदा शर्तें, एक पेशेवर, जो बड़ी एवं जटिल जन-निजी भागीदारी निविदाओं को संभालने का अनुभव रखता हो, के लिये नियुक्त सनदी लेखाकार जयपुर में कुछ एक वित्तीय पेशेवरों में से एक है। सीएमडी ने आगे तर्क दिया कि निगम को न्यूनतम बोलीदाता के साथ एक सुविधाजनक करार का निष्पादन करना होगा जो कि एक बहुत जटिल विधि प्रलेख था एवं नियुक्त किये गये वकील के अतिरिक्त जयपुर में विधि वक्ताओं की लगभग कोई फर्म नहीं थी जो इस तरह के कार्य को संभाल सके।

हमने आगे पाया कि परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के साथ ही ₹ 13.13 लाख के परामर्श शुल्क के भुगतान का मामला कार्योपरान्त अनुमोदन हेतु संचालक मंडल के समक्ष इस तर्क के साथ प्रस्तुत किया (11 फरवरी 2010) कि विद्यमान निविदा प्रलेख विधिक कमियों से भरे थे एवं विवाद के मामले में निगम के विपरीत जा सकते हैं। यह भी तर्क दिया गया था कि परामर्शदाता अयाचित बोली के आधार पर लिये गये थे क्योंकि राजस्थान में ऐसे प्रलेखों का मसौदा तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की उपलब्धता कम थी। संचालक मंडल ने परामर्शदाताओं को लेने एवं ₹ 10.92 लाख के परामर्श शुल्क का भुगतान, जिसका भुगतान 12 मार्च 2010 को किया गया था, को अनुमत्य किया।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नये प्रलेखों ने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की थी एवं निजी बस मालिकों ने निविदा में बहुत अधिक अभिरूचि नहीं दिखायी थी जैसा कि आठ संबंद्ध पक्षकारों जिन्होंने बोली-पूर्व बैठक में भाग लिया था (20 नवम्बर 2009) में से केवल चार पक्षकारों ने 14 'ए' श्रेणी बसों एवं 8 'बी' श्रेणी बसों हेतु निविदा प्रस्तुत की (30 नवम्बर 2009)। आगे, 10 'ए' श्रेणी बसों हेतु केवल एक निविदा, वह भी एक विद्यमान पक्षकार को बहुत विचार-विमर्श एवं परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये निविदा प्रलेखों में शर्तों व नियमों में वृहद परिवर्तन के पश्चात् यथा सेवाकर दायित्व, निष्पादन सुरक्षा में कटौती, विज्ञापन में आय का विभाजन, एलसीडी टीवी का आकार, दर प्रति किलोमीटर इत्यादि को ही नवम्बर 2010 तक अन्तिम रूप दिया जा सका था। आगे यह भी देखा गया था कि तैयार किये गये प्रलेख इतने जटिल एवं विस्तृत थे कि यह निगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक प्रलेख सिद्ध नहीं हुये थे क्योंकि अभिरूचि रखने वाले पक्षकारों ने प्रायः शर्तों में बदलाव हेतु कहा था। प्रलेखों की जटिलता की जानकारी होने के बावजूद निगम ने पुनः प्रलेखों के उसी बन्ध के साथ पुनः

24 ए श्रेणी (वोल्वो बी9आर-10 बसें), बी श्रेणी (वोल्वो बी7आर-29 बसें) एवं सी श्रेणी (टाटा/लेलेण्ड एसी-39 बसें)

निविदायें आमंत्रित की (अप्रैल 2010) एवं एक भी बोली प्राप्त नहीं कर सका। तदुपरान्त, प्रबन्धन ने संचालक मंडल को बताया (8 जुलाई 2011) कि अति आरामदायक बसों की आवश्यकता इस तथ्य के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती कि परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये प्रलेख इतने विस्तृत एवं जटिल थे कि पक्षकार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में अभिरूचि नहीं रखते थे। आगे यह बताया गया था कि अधिक बोली-दाताओं को आकर्षित करने हेतु सरल भाषा में प्रलेखों का नया बन्ध तैयार किया गया है। संचालक मंडल ने सभी भविष्य की निविदाओं हेतु साधारण एवं सरल भाषा में तैयार किये गये प्रलेखों के नये बन्ध को अनुमत्य किया (जुलाई 2011) जिससे कि बड़ी संख्या में पक्षकार निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें।

हमने देखा कि निगम ने इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं बाजार परिदृश्य के आंकलन किये बिना निविदा प्रलेखों व करार मसौदा तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किया। अभिलेखों से यह ज्ञात नहीं था कि परामर्शदाताओं ने प्रलेख, बोलीदाताओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाली प्रमुख निविदा शर्तों को निगम के साथ पहचान कर व विचार विमर्श करने के पश्चात् तैयार किये। परिणामस्वरूप, पक्षकारों के निवेदन पर प्रलेखों की शर्तों व नियमों में बड़े परिवर्तन किये गये थे एवं अन्ततः इसकी परिणीति प्रलेखों के रद्द करने के रूप में हुयी (जुलाई 2011)। चूंकि प्रलेख रद्द कर दिये गये थे एवं निगम ने इसके स्वंय के स्तर पर नये प्रलेख तैयार किये, परामर्श शुल्क के पेटे ₹ 10.92 लाख का भुगतान एवं इसी आधार पर आमंत्रित (अप्रैल 2010) निविदाओं के विज्ञापन पर किया गया ₹ 15.14 लाख का व्यय व्यर्थ हो गया।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी/अक्टूबर 2012) कि निगम की मांग के अनुरूप अति आरामदायक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एवं इस क्षेत्र में अनुभवी फर्मों को आकर्षित कर वैश्विक वातावरण में बसों की निरन्तर संचालन विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु परामर्शदाताओं से उच्च स्तरीय प्रलेख तैयार करवाये गये थे। इसने आगे कहा कि विषय विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के कारण नियुक्त परामर्शदाताओं से प्रलेख तैयार करवाये गये थे। साथ ही, निविदायें आमंत्रित करने से पूर्व किसी स्तर पर यह अनुमान लगाना कठिन था कि कोई पक्षकार आगे नहीं आयेगा एवं कोई बोली प्राप्त नहीं होगी। प्रबन्धन द्वारा दिया गया तर्क इस तथ्य को देखते हुये मानने योग्य नहीं है कि प्रबन्धन से परामर्शदाताओं को किसी दिग्दर्शिका/निर्देशों के अभाव में बसों को किराये पर लेने हेतु प्रलेख, मानक प्रलेखों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि बसें, आमंत्रित निविदा (नवम्बर 2009) की प्रमुख शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने के पश्चात् नवम्बर 2010 में किराये पर ली जा सकी चूँकि किसी पक्षकार ने आमंत्रित निविदा (अप्रैल 2010) हेतु बोली प्रस्तुत नहीं की थी; इस कारण निगम को मजबूरन प्रलेखों को रद्द करना पड़ा एवं सभी भविष्य निविदाओं हेतु नये प्रलेख बनाने पड़े।

सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर को पृष्ठांकित किया (जुलाई 2012)।

3.14 बिना टिकिट यात्रा एवं विभागीय जाँच के मामलों के व्यवहार में प्रणाली दोष

बिना टिकिट यात्राओं की रोकथाम के उप-नियमों/प्रावधानों का अप्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही अपर्याप्त निगरानी के कारण दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच के पूर्ण होने में सारभूत विलम्ब हुआ।

3.14.1 राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकिट यात्रा निवारण अधिनियम, 1975' (अधिनियम) बनाया, तत्पश्चात 'राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम'

(निगम) की बसों में बिना टिकिट यात्राओं की रोकथाम हेतु 1987 में संशोधित किया। अधिनियम, निगम की बसों में बिना उचित पारपत्र अथवा टिकिट के यात्रा कर रहे यात्रियों एवं परिचालक अथवा किराया वसूल करने व टिकिट निर्गमित करने हेतु निगम द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के लिये भी बाध्यता एवं दण्ड प्रदान करता है। अधिनियम व्याख्या करता है कि यदि कोई व्यक्ति उचित टिकिट अथवा पारपत्र के बिना बस में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तब यह माना जायेगा कि परिचालक ने असावधानीवश अथवा जानबूझकर किराया वसूलने या टिकिट निर्गमित नहीं किया है। अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने को देखते हुये, निगम ने समय-समय पर निर्देश जारी किये जिसमें कि अन्य बातों को देखते हुये, निरीक्षण दलों द्वारा रास्ते में बसों का निरीक्षण, दोषी परिचालक को आरोप-पत्र देने एवं जाँच अधिकारी की नियुक्ति, यदि आरोपों का खण्डन किया गया हो या अनुत्तरित हो, 10 अथवा अधिक यात्रियों या किराया राशि ₹ 200 अथवा अधिक या दोनों (18 अक्टूबर 2010 से पूर्व पाँच एवं अधिक यात्रियों अथवा किराया राशि ₹ 50 या अधिक) के बिना टिकिट यात्रा इत्यादि के अन्तर्गत पकड़े जाने पर दोषी परिचालक का निलम्बन सम्मिलित है।

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगम की निलम्बन के मामलों में व्यवहार करने की योग्यता के आंकलन के उद्देश्य से रेण्डम आधार पर 21 आगारों (कुल 48 आगारों में से) से एकत्रित की गयी सूचनाओं के आधार पर प्रचलित प्रणाली की समीक्षा की गयी थी। पायी गयी कमियाँ नीचे दी गयी हैः

31 मार्च 2011 को निगम के 21 आगारों में निलम्बन के 688 मामले थे जिसमें से 463 मामले (67.29 प्रतिशत) परिचालकों से संबंधित थे जो कि यात्रियों से किराया वसूल नहीं करने अथवा टिकिट निर्गमित नहीं करने हेतु कर्तव्य से निलम्बित किये गये थे।

जाँच को पूर्ण करने एवं जाँच अधिकारी की नियुक्ति में विलम्ब

3.14.2 राजस्थान राज्य पथ परिवहन कर्मी एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश (1985) के 'स्थाई आदेश 35' में वर्णानुसार सक्षम अधिकारी को किसी कृत्य अथवा दुराचरण की गलती पर लिखित में आदेश द्वारा एवं कर्मचारी को सुस्पष्ट आरोपों को समाहित करने वाले आरोप-पत्र देकर कर्मचारी के निलम्बन हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। यह आगे बताता है कि विभागीय जाँच के मामले में कोई कर्मचारी 90 दिवस की अवधि से अधिक निलम्बन के तहत नहीं रखा जाना चाहिये जब तक कि यह निगम के समग्र हित एवं अच्छे अनुशासन हेतु लाभप्रद न हो। जाँच अधिकारी, निलम्बन अवधि के 90 दिवस पूर्ण होने पर तुरन्त निलम्बन के सक्षम अधिकारी को जाँच पूर्ण नहीं किये जाने के कारणों से अवगत करवायेगा। यह पर्याप्त कारणों, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किये जायेंगें, पर होना चाहिये।

हमारी संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निलम्बन के कुल 688 मामलों में से केवल 148 मामलों (20 प्रतिशत) में विभागीय जाँच निलम्बन की तिथि से 90 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण हुयी थी जबकि 56 मामलों में जाँच 90 दिवस के बाद पूर्ण हुयी थी। शेष रहे 484 मामलों में, 325 दोषी कर्मचारियों को जाँच पूर्ण किये बिना ही पुनः बहाल कर दिया गया था जबकि 159 कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच लम्बित थी (मार्च 2011), जिसके कारण अभिलेखों पर नहीं पाये गये थे। जाँच पूर्ण किये बिना दोषी कर्मचारियों की पुनः बहाली दर्शाती है कि या तो निर्धारित किये गये आरोप स्थापित किये जाने योग्य नहीं थे अथवा कर्मचारियों को प्रशासनिक जाँच भी पूर्ण किये बिना ही पुनः बहाल कर दिया गया था।

अभिलेखों के आगे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि निलम्बन की तिथि से जाँच अधिकारी की नियुक्ति में दो से 576 दिवसों के मध्य विचरित सारभूत विलम्ब था। 298 मामलों में जाँच अधिकारी दो से 31 दिवसों के मध्य विलम्ब से नियुक्त किया गया था, 151 मामलों में 31 व 90 दिवसों के मध्य विलम्ब से एवं 33 मामलों में निलम्बन आदेश के 90 दिवसों के पश्चात् नियुक्ति की गयी थी। निगम के 18 आगारों के 204[25] मामलों में जाँच अधिकारी की नियुक्ति के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

हमने यह भी पाया कि निगम ने इसके 78 दोषी परिचालकों को ₹ 24 लाख का निर्वाह भत्ता उनके निलम्बन के 90 दिनों के पश्चात् भी भुगतान किया (नवम्बर 2008 से मार्च 2012) जो कि अनुत्पादक हो गया क्योंकि उन्होंने निगम को उनकी सेवायें प्रदान नहीं की थी जिसे कि टाला जा सकता था यदि विभागीय जाँच की कार्यवाही नियत समय सारणी के भीतर पूर्ण कर ली जाती। साथ ही, निगम ने विभागीय जाँचों की निगरानी हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुये कहा (नवम्बर 2012) कि दोषी कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिया गया था एवं उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् नियत समयावधि में जाँच अधिकारियों को नियुक्त कर विभागीय जाँच करवायी गयी थी, तथापि, अपरिहार्य कारणों से विलम्ब स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अधिकतर दोषी/निलम्बित कर्मचारियों ने आरोप-पत्र के उत्तर नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किये थे एवं उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निगम से अतिरिक्त प्रलेखों की मांग की, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मुख्यालय से अनुपस्थिति रह के प्रक्रिया को विलम्बित किया जिसके कारण जाँच अधिकारी की नियुक्ति में विलम्ब हुआ। इसने आगे कहा कि निगम में स्टाफ की अत्याधिक कमी थी एवं नियंत्रण अधिकारी के लिये कर्मचारियों को विभागीय जाँच हेतु कार्यमुक्त करना कठिन था क्योंकि यात्रा को रद्द करने पर राजनीतिक/जनता का दबाव आता है। जाँच प्रक्रिया की पालना में देरी एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी तथा निगम समय-समय पर लम्बित जाँचों को पूर्ण करने हेतु आदेश जारी करता है।

न्यायालय मामलों में व्यवहार में कमियाँ

3.14.3 विभागीय जाँच में अपराधी पाये गये दोषी कर्मचारियों ने अनुशासनिक/अपीलीय अधिकारी द्वारा सेवा समापन/बड़ी शास्ति लगाने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय के निर्णय संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह प्रकट हुआ कि निर्णय, सेवा से निकाले गये कर्मचारियों के पक्ष में इस आधार पर थे कि निगम द्वारा कानून की प्रक्रिया/सेवा समाप्ति की कार्यविधि का उचित अनुसरण नहीं किया गया था एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से आरोप सिद्ध नहीं किये जा सके थे।

यह दर्शाता है कि विभागीय जाँचे उचित तरीके से नहीं की गयी थी एवं न्याय की प्रक्रिया/जाँच की कार्यविधि के साथ-साथ शास्ति लगाने की अनुपालना उचित रूप से नहीं की गयी थी जिसके कारण न्यायालय के निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में गये।

इस प्रकार, वाहन निरीक्षण के समय बिना टिकिट यात्रा निवारण अधिनियम के उप-नियमों/प्रावधानों की अनदेखी, अपर्याप्त निगरानी एवं जाँच पूर्ण करने में सारभूत विलम्ब के

25 यह एक मामले में जाँच के दौरान कर्मचारी की मृत्यु एवं एक एसीडी से संबंधित मामले को छोड़कर है।

साथ ही न्यायिक मामलों में व्यवहार में कमी ने कर्मचारियों को अनाचार में संलिप्तता को प्रोत्साहित किया जिसके कारण निगम को राजस्व की हानि हुयी जिसका निर्धारण नहीं किया जा सका था।

बिना टिकिट यात्रा के मामलों को न्यूनतम करने हेतु निगम को अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिये। दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप स्थापित करने हेतु विभागीय जाँचें नियत समय सारणी के भीतर की जानी चाहिये एवं उच्च प्रबन्धन को कार्यवाही करने से पूर्व 'स्थाई आदेश 35' में वर्णित नियत प्रक्रिया को अपनाना चाहिये जिससे कि नियमों/प्रक्रियाओं की अनुपालना में कमजोरियों का लाभ दोषी कर्मचारियों को न्यायालय में नहीं मिल सके।

न्यायिक मामलों में व्यवहार में कमियों के संबंध में सरकार का उत्तर मौन था।

सामान्य अनुच्छेद

3.15 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया प्रत्युत्तर

3.15.1 सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में संधारित अभिलेखों एवं लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा प्रक्रिया, जो कि प्रारम्भिक जाँच से शुरू होती है, के चरमोत्कर्ष को भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रबंधन से शीघ्र एवं उचित प्रत्युत्तर प्राप्त किया जावे। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) तथा कहा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुतिकरण के तीन माह के अन्दर प्रतिवेदन में शामिल सभी अनुच्छेदों एवं समीक्षाओं पर लिए गए अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों को दर्शाते हुए उत्तर लेखापरीक्षा से जंचवाकर प्रस्तुत करें।

यद्यपि वर्ष 2010-11 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान मण्डल में अप्रैल 2012 में प्रस्तुत कर दिया गया, किन्तु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 13 ड्राफ्ट अनुच्छेदों में से एक ड्राफ्ट अनुच्छेद के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी एक[26] विभाग द्वारा सितम्बर 2012 तक प्रस्तुत नहीं की गई।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर

3.15.2 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों को, जिनका हाथों-हाथ निपटारा नहीं हो सका, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के प्रमुखों को भेजा जाता है। पीएसयूज के प्रमुखों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर छः सप्ताह की अवधि में संबंधित विभागों के प्रमुख के माध्यम से भिजवाना होता है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित लेखापरीक्षा आक्षेपों की निगरानी में सहायता के लिए एक अर्द्धवार्षिकी विवरणी संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भेजी जाती है।

26 खान एवं पेट्रोलियम विभाग।

मार्च 2012 तक जारी 23 पीएसयूज से संबंधित 639 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 2626 अनुच्छेदों में ₹ 1982.98 करोड़ की राशि सन्निहित थी, सितम्बर 2012 के अन्त में बकाया थे। यहाँ तक कि 11 पीएसयूज से संबंधित 136 अनुच्छेदों के प्रारम्भिक प्रत्युत्तर भी प्राप्त नहीं हुए। **अनुबन्ध-20** में 30 सितम्बर 2012 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आक्षेपों की विभागवार स्थिति दी गई है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु 42 पीएसयूज में से 14 में ऑडिट कमेटी का गठन कर दिया गया था। अवधि 2011-12 में आडिट कमेटियों की 35 बैठकें हुई जिनमें बकाया अनुच्छेदों की स्थिति पर प्रत्युत्तर एवं उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन/प्रशासनिक विभागों से विचार-विमर्श किया गया।

इसी प्रकार, पीएसयूज के काम-काज पर ड्राफ्ट अनुच्छेद एवं निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा प्रेषित कर छः सप्ताह की अवधि में तथ्य एवं आंकड़े सत्यापित करने तथा टिप्पणी प्रेषित करने का आग्रह किया जाता है। तथापि, हमने पाया गया कि 10 ड्राफ्ट अनुच्छेदों एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा को विभिन्न विभागों को जून 2012 व अक्टूबर 2012 के मध्य भेजा गया, जैसा कि **अनुबन्ध-21** में दर्शाया गया है, के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)।

सरकार से यह सुनिश्चित करने की संस्तुति की जाती है कि (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा कोपू की सिफारिशों के एटीएन पर निर्धारित समय सारणी के अनुरूप प्रत्युत्तर देने में विफल रहने वाले कार्मिकों पर कार्यवाही की व्यवस्था हो; (ब) हानि/अग्रिम बकाया/अधिक भुगतान को एक निर्धारित समय में वसूल करने की कार्यवाही की जावे एवं (स) लेखा परीक्षा आक्षेपों के प्रत्युत्तर देने की प्रणाली का पुनर्गठन किया जावे।

(राजेन्द्र चौहान)

जयपुर | प्रधान महालेखाकार

दिनांक | (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(विनोद राय)**

दिनांक | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक